

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/
दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को निर्देशानुसार प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर कार्य व्यवस्था के तहत 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिये लगाया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक एवं पद	मुल पदस्थापन स्थान	कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन
1	सुमन कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता	उपकेन्द्र, खेजरला, प्रा.स्वा. केन्द्र, रेवत, जालोर	उपकेन्द्र, भामु की ढाणी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू
2	सुनिता देवी, म.स्वा.कार्यकर्ता	उपकेन्द्र, भामु की ढाणी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू	उपकेन्द्र, खेजरला, प्रा.स्वा. केन्द्र, रेवत, जालोर

1 (एक) वर्ष की अवधि उपरान्त उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे। कार्मिक को उक्त कार्य व्यवस्था अवधि हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।


-sd-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/1142

दिनांक : 9/8/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्रांक 4362 दिनांक 08.08.2017 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग जोधपुर/जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर/झुंझुनू।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर